

न्यायालय तहसीलदार कुचामन सिटी जिला नागौर -राज0

पीठासीन अधिकारी : दयानन्द रूयल, तहसीलदार

मिसल संख्या : 245/18

किस्म मुकदमा : राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 91

तारीख दर्ज : 12.03.2019

निर्णय दिनांक :

राजस्थान सरकार

बनाम

केशर देवी पत्नि जीवणराम

जाति स्वामी नि0 पांचवा

—: उनवान :—

पत्रावली आज पेश हुई अप्रार्थी अनु. प्रकरण संक्षेप इस प्रकार है कि पटवारी हल्का पांचवा द्वारा इस न्यायालय में प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केशर देवी पत्नि जीवणराम जाति स्वामी निवासी पांचव ने ग्राम पांचवा के खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर में से रकबा 0.0594 हैक्टर किस्म गै.मु. गौचर भूमि पर सम्वत 2075 में अनाधिकृत रूप से पक्का मकान मय चारदिवारी कर अतिक्रमण कर लिया है पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 तहत सुनवाई हेतु नोटिस जारी किया गया। नोटिस की प्रति जगदीश ने प्राप्त की। अप्रार्थीया उपस्थित होकर जवाब पेश कर कथन किया की में एक गरीब व विधवा महिला हूँ तथा में ने 30-35 साल पूर्व मजदूरी करके उक्त मकान का निर्माण किया गया था। अप्रार्थीया द्वारा जवाब के साथ कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये है।

अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि जिससे प्रार्थना -पत्र मे उल्लेखित तथ्यो की पुष्टि हो सके एवं उक्त भूमि आज दिन भी राजस्व रीकोर्ड में गैर मु. गौचर दर्ज है। गैर.मु. गौचर किस्म की भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 में है जिसमें कभी भी किसी तरह का स्वामित्त प्राप्त नहीं हो सकता। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो से स्पष्ट है कि अप्रार्थी ने जानबूझकर राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया है। एवं आदिनांक तक अवैध कब्जा हटाने में विफल रहा है।

अप्रार्थी को प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है अप्रार्थी को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर, की डी.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 11153/2011 सोमोटो बनाम राजस्थान सरकार में पारित आदेश दिनांक 11.03.2019 की पालना में ग्राम पांचवा के आराजी राज खसरा नम्बर 284 कुल रकबा 10.57 हैक्टेयर गै. मु. गौचर भूमि में से रकबा 0.0594 हैक्टेयर भूमि पर से बेदखल कर भूमि को कब्जा सरकार लेने तथा बतौर अर्थदण्ड स्वरूप अप्रार्थी पर लगान 0.297 का पच्चास गुणा से राशि 15/- अक्षरे पन्द्रह रूपये जुर्माना आरोपित किया जाता है। पटवारी हल्का को वसूली हेतु तथा भू. अ. निरीक्षक को अप्रार्थी को मौके से बेदखल कर भूमि कब्जा सरकार ले कर पालना रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे। आरोपित शास्ति की मांग कायमी तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का को करवाई जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय आज दिनांक 21/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मोहर से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

माँग कायमी रा.ले.स.-4  
 क्र.पृष्ठ संख्या 39  
 वर्ष 20-21  
 रा.जुर्माना -  
 क.निलामी -  
 गोचर जुर्माना 15  
 प्रा.पैदावार -

तराले कुचामन सिटी

(दयानन्द रुयल)  
 तहसीलदार, कुचामन सिटी  
 जिला नागौर राज0